



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 47 राँची, शुक्रवार,

27 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2022

संख्या- 04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6811--श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 9/20, गृह जिला दुमका) की सेवा पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित करते हुए अगले आदेश तक इनकी सेवा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है ।

संख्या-04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6812--कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित मो० आबिद हुसैन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 176/20, गृह जिला राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6813--कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित **श्रीमती रश्मि रंजन**, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 582/20, गृह जिला पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, डालटेनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती रंजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत डालटेनगंज जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

संख्या-04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6814--कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित **श्रीमती स्मृति कुमारी**, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला गढ़वा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में आवासीय दण्डाधिकारी, हटिया, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत राँची जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
